यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, इंद्रा प्रयदर्शनी राजकीय स्नात्कोत्तर वा णज्य महिला महा वद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्राचार्य, इंद्रा प्रयदर्शनी राजकीय स्नात्कोत्तर वा णज्य महिला महा वद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल) के माह 09/2013 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पवन कुमार, एवं अजय त्यागी, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 01.02.2018 से 05.02.2018 तक श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री प्रेम चन्द स0ले0प0अ0 एवं श्री जे0पी0 गेरोला वरि0 लेखा परीक्षक, द्वारा दिनांक 04/09/2013 से 09/09/2013 तक श्री सुनील कल्ला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2016 से 08/2013 तक के लेखा-अ भलेखों की जाँच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2013 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः- स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी अंग्रेजी अर्थशास्त्र राजनैतिक शास्त्र संस्कृत मनो वज्ञान ग्रह वज्ञान तथा वज्ञान तथा वज्ञान संकाय के अन्तर्गत जन्तु वज्ञान वनस्पति वज्ञान भौतिक रसायन एवं कामर्श संकाय में बी कॉम/बीकॉम आनर्स पाठयक्रम संचा लत है यह महा वद्यालय, नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में स्थित है। राष्टीय मार्ग से कॉलेज की दूरी 0.5 क0मी0 है। कॉलेज के निकट रेलवे स्टेशन 1.50 क0मी0 की दूरी पर हैः समुन्द्र तर से उचाई लागत 50.00 मीटर है।

(II) (अ) वगत चार वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अ धक्य (+)	बचत (-) समर्पण	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		स्थापना	गैर स्थापना
2014-15	--	--	261.65	257.43	6.01	4.16	--	4.22	1.85
2015-16	--	--	313.80	257.32	18.04	17.52	--	56.48	0.52
2016-17	--	--	391.95	333.43	8.10	7.92	--	58.52	0.18
2017-18 (01/2018)	--	--	385.79	351.25	13.40	8.37	--	34.54	5.03

लागू नही

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	व्यय	व्यय आ धक्य (+)	बचत (-)
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18 (01/2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव, उच्च शक्षा 2. उच्च शक्षा निदेशालय 3. उच्च शक्षा निदेशक 4. प्राचार्य 5. प्रवक्ता।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः वर्तमान लेखापरीक्षा तक की अव ध को आच्छादित करते हुए प्राचार्य, इंद्रा प्रयदर्शनी राजकीय स्नात्कोत्तर वा णज्य महिला महा वद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल) के लेखा-अ भलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, इंद्रा प्रयदर्शनी राजकीय स्नात्कोत्तर वा णज्य महिला महा वद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2016 एवं 01/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। प्रतिचयन शून्य के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 1: लेखापरी क्षत अव ध मे रु 2.54 लाख का व्यय हड़बड़ी मे कए जाने का प्रकरण पाया जाना।

बजट मैनुअल उत्तराखण्ड 2012 के नियम 183 के अनुसार वर्षान्त समर्पण से बचने के लए हड़बड़ी मे व्यय करने से बचा जाना चाहिय।

कार्यालय प्राचार्य महिला राजकीय महा वद्यालय हल्द्वानी की वत्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक की बजट पत्रावली की जांच मे कई मदों के आवंटन के पश्चात माहों मे कया गया व्यय समानुपातिक नही पाया गया। आकड़ों का ववरण निम्नवत पाया गया-

मद का नाम	आवंटित धनरा श		वर्ष	मार्च माह का व्यय	अन्य 11 माहों का व्यय
12- कार्यालय फर्नीचर	20000	40000	जुलाई 2014	40000	शून्य
29- अनुरक्षण	40000	30000	जून 2015	39990 29955	शून्य
26- मशीन साज - सज्जा	150000	-	2015-16	144572	शून्य
			योग	रु 2.54 लाख	
26- मशीन साज - सज्जा	25000	80000	जुलाई 2014	33493	46500
29- अनुरक्षण	75000	75000	जुलाई 2017 जनवरी 2018	22892 18497	29796

उपरोक्त आवंटन माह तथा व्यय माह की तुलनात्मक जांच से स्पष्ट था की कार्यालय फर्नीचर अनुरक्षण तथा मशीन संज सज्जा मद मे वत्तीय वर्ष के प्रारम्भ मे आवंटन के बावजूद मात्र मार्च माह मे ही व्यय कया गया। आगे यह भी जांच मे पाया गया की मशीन साज-सज्जा तथा अनुरक्षण मद मे शेष 11 माहों के व्यय के तुल्य मात्र मार्च माह मे अ धक व्यय रहा ।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई द्वारा भ वष्य मे त्रुटि की पुनरावृति नही करने की बात कही गयी।

उत्तर तर्कसंगत नही पाया गया क्यो क आवंटन -व्यय की प्रवृति (Tendency)से परिल क्षत था की शासकीय धनरा श समर्पण से बचने के लए मार्च माह मे बड़ी धनरा श प्रयुक्त की गयी जो वत्तीय नियम के अनुकूल नही था।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 2: पुस्तकालय का संचालन नियमानुसार न होने के कारण शासकीय धन र **940,000.00** का अपव्यय।

सामान्य वत्तीय नियमावली के नियम -194 के प्र वधानों के अनुसार -complete physical verification of books, should be done every year in case of libraries ,having not more than twenty thousand volumes ,loss of five volumes of books issued consuted in a year may be taken as reasonable provided such cases are not attributable to dishonest ,or negligence. However loss of a book of value exceeding Rs 1000.00 and rare books irrespective of volume shall invariablely be Investigated and appropriate action taken.

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नात्कोत्तर महिला महा वधालय, हल्द्वानी (नैनीताल) की जांच पंजिका मे पाया गया क इकाई द्वारा रखरखाब कए जाने वाले अव्यवस्थित पुस्तकालय मे कुल 27002 पुस्तके अं कत थी, जिसमे से लेखापरीक्षा अव ध तक 4027 पुस्तके छात्र/छात्राओ/शक्षकगण/ कर्मचारी को निर्गत की गयी थी। सम्प्रेक्षा द्वारा पुस्तकालय की वा षक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट complete नहीं कया जाना पाया गया। फलतः पुस्तकों की स्टाफ नियत अव ध मे जारी पुस्तकों की वापसी तथा अप्राप्त पुस्तकों की कारण सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार कर सक्षम अ धकारी के संज्ञान मे नहीं लाया गया।

आगे जांच मे सम्प्रेक्षा द्वारा पाया गया के इकाई स्तर पर व भन्न वर्षो मे शासन द्वारा पुस्तकालय में धनरा श ₹ 940000.00 का व्यय कया गया हैं,

सम्प्रेक्षा द्वारा पुस्तकालय मद के वाउचरस की जांच मे पाया गया क महा वधालय स्तर पर पुस्तकों की खरीद-फरोख्त टुकड़ो-टुकड़ो मे की गयी हैं, महा वधालय द्वारा प्रॉक्यूरमेंट नियमावली-2008 की धारा 3(10) का कोई पालन नहीं कया गया। आगे जांच मे सम्प्रेक्षा द्वारा पाया गया क महा वधालय स्तर पर पुस्तकों की खरीद-फरोख्त मे वत्तयीय अ धकारो के DELIGATION POWER OF DUTIES (2010) के सम्बंध मे शासनादेश -562/xxvii(7)2010 दिनाक-24/05/2010 का पालन नहीं कया जा रहा ₹ 50000.00 से अ धक मूल्यो की पुस्तकों को एक ही वत्तयी वर्ष मे प्राचार्य के approval से ही क्रय कया जा रहा हैं, जब क नियमो के अनुसार ₹ 50000.00 से अ धक मूल्यो की पुस्तकों को एक ही वत्तयी वर्ष मे क्रय करने हेतु महा वधालय को प्रकरण को स चवालय के प्रशासनिक वभाग को क्रय हेतु पुस्तकालय मद के ACCESSION पंजिका की सम्प्रेक्षा द्वारा जांच मे पाया गया की महा वधालय द्वारा पुस्तकों का मा सक abstract भी prepare नहीं कया जा रहा हैं,

संप्रेक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे कहा क पुस्तकालय का भौतिक verification जल्दी करा लया जाएगा एवं व्यय अवस्याक्ता के अनुसार ही कया जाता हैं।

इकाई द्वारा जो सूचना उपलब्ध करायी गई, के संबंध मे कोई तर्कपूर्ण उत्तर नहीं दिया गया। इससे स्पष्ट है क यदि इकाई द्वारा वा षक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तैयार की जाती तो पुस्तकालय के रखरखाव का संचालन सुचारुरूप से होता।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हे।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 3: गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप रु 34,**584/-** का अनिय मत भुगतान।

उत्तराखण्ड शासन, वत्त के पत्रांक 290/XXIV(7)50(16)/2016, दिनाक 28 दिसंबर 2016 द्वारा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016, 1 जनवरी 2016 से लागू की गयी जिसके अनुसार अ धकारियों/ कर्मचारियो का वेतन निर्धारण कया गया एवं शासनादेश 3157(1)/XXIV(7)/2013-55(1)10, दिनांक 29.10.2013 के अनुसार महा वद्यालय के प्रयोगशाला सहायक के पदो के ग्रेड वेतन का उच्चीकरण कया गया।

प्राचार्य राजकीय महिला महा वद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल मे कार्यरत कर्मचारी दया कशन जोशी, प्रयोगशाला सहायक की सेवा पुस्तिका तथा उपलब्ध कराये गए अ भलेखो की नमूना जांच मे पाया गया क निदेशालय द्वारा शासनादेश संख्या 3157(1)/XXIV/(7)/2013-55(1)10 , दिनांक 29.10.2013 के अनुक्रम मे उक्त कर्मचारी को वेतन बैंड 9300-34800, ग्रेड वेतन 2800 से वेतन बैंड 9300-34800, ग्रेड वेतन 4200 मे दिनांक 29.10.2013 को उच्चिकृत करते हुये वेतन निर्धारण दिनांक 01.01.2014 को 16,190/- (11990+4200) पर कया गया जो क त्रुटिपूर्ण पाया गया, नियमानुसार कर्मचारी का वेतन निर्धारण दिनांक 31.12.2013 को पूर्व वेतन 14310/- (11510 + 2800= 14310) पर 3% increment देय करते हुये रु 430 (increment) अर्थात वेतन 11,510 + 430= 11940/- जमा ग्रेड वेतन 4200/-, अर्थात 16,140/- पर कया जाना था। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप 01.01.2015 को 16,680/- वेतन के आधार पर शसान के पत्रांक 290/XXIV(7)50(16)/2016, दिनाक 28 दिसंबर 2016 के अनुक्रम मे 01.01.2016 को कर्मचारी का सातवे वेतन आयोग द्वारा पुनरी क्षत वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण रूप से इस प्रकार पाई गई:-

	त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण	वास्त वक वेतन निर्धारण
वेतन बैंड(पीबी-2)	रु 9300-34800	रु 9300-34800
पे बैंड में वेतन(31.12.2015)	रु 12480/-	रु 12430/-
ग्रेड वेतन	रु 4200/-	रु 4200/-
कुल वेतन	रु 16680/-	16630/-
2.57 के फटमैंट गुणांक से गुणा करने पर	रु 42867.6/-	42739.1/-
मेट्रिक्स में कुल पुर्न कत धनरा श	रु 42,868/-	रु 42,740/-
दिनांक 01.01.2016 को वेतन मेट्रिक्स में मूल वेतन लेवेल -6	रु **44,900/-**	रु 43,**600/-**
दिनांक 01.01.2017 को वेतन मेट्रिक्स में मूल वेतन लेवेल -6	रु 46,200/-	रु 44,900/-

उक्त ता लका से स्पष्ट है क उक्त कर्मचारी का वेतन निर्धारण सांतवे वेतन आयोग लागू कए जाने पर दिनांक 01.01.2016 को 43,600/- के स्थान पर रु 44900/- कया गया। जिस कारण दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2017 तक वेतन एवं भत्तो पर संबन्धित कर्मचारी को रु 34584/- का अ धक भुगतान कया गया है। (ववरण संलग्न)

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है क संबन्धित कर्मचारी के वेतन की वस्तृत जांच निदेशालय स्तर के उपरान्त ही कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

उत्तर संतोषजनक न होने के कारण मान्य नही है तथा प्रकरण पुन: समीक्षा हेतु संज्ञान मे लाया जाता है।

अतः गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप रु 34,**584/-** का अनिय मत भुगतान का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

Due & Drawn Statement in Shri Daya Kishan Joshi

Pay Drawn				**Pay Due**			**Difference**	**Excess Amount Drawn**
Period	**Pay**	**DA**	**Total**	**Pay**	**DA**	**Total**		
01/14 to 06/14	16190	16190	32380	16140	16140	32280	100	रु 600
07/14 to 12/14	16190	17324	33514	16140	17270	33410	104	रु 624
01/15 to 06/15	16680	18849	35529	16630	18792	35422	107	रु 642
07/15 to 12/15	16680	19850	36530	16630	19790	36420	110	रु 660
01/16 to 06/16	44900	0.00	44900	43600	0.00	43600	1300	रु 7800
07/16 to 12/16	44900	898	45798	43600	872	44472	1326	रु 7956
01/17 to 06/17	46200	1848	48048	44900	1796	46696	1352	रु 8112
07/17 to 12/17	46200	2310	48510	44900	2245	47145	1365	रु 8190
							Total	रु **34,584/-**

STAN

प्रस्तर **1**: छात्रनि ध की व भन्न मदों मे र **62.91** लाख की धनरा श का अप्रूयक्त रहना एवं शासनादेश के वरुद्ध र 190605.00 की धनरा श का अनिय मत आहरण कर धनरा श का समायोजन न करना।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10.07.1986 के अंतर्गत महा वद्यालयो मे छात्रनि धयों के रख रखाव एवं उपयोग संबं धत नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है एवं इस प्रयोजन हेतु महा वद्यालयो मे छात्रनि धया संचा लत कए जाने का प्रावधान कया गया था जिस पर प्राचार्य का पूर्ण नियंत्रण निर्धारित था। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार छात्र कोष से वकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नही लया जाएगा और यह रा श उसी मद पर व्यय की जाएगी जिसके लए वसूल की गयी है एवं बिन्दु संख्या 06 के अनुसार यदि कन्ही कारणो से कसी छात्र कोष मे बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की स मति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध स मति के अनुमोदरांत शक्षा निदेशक, उच्च शक्षा अथवा उनके द्वारा प्रा धकृत कसी अ धकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है ।

छात्र कल्याण नि ध नियमावली 2003 मे यह स्पष्ट उल्लेख है क The collection from students in the Niche and interest earned thereon shall be utilized to provide assistance under rule-6 *(objective of nidhi-provide financial assistance to student)* and also to meet establishment and other expenses necessary for administration of Nidhi."

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नात्कोत्तर महिला महा वधालय, हल्द्वानी (नैनीताल) के छात्रनि धयों से संबन्धित अ भलेखो की जांच के उपरान्त पाया गया क महा वद्यालय द्वारा व भन्न प्रकार की छात्रनि धयों का संचालन कया गया तथा सभी छात्रनि धयों हेतु पृथक से बैंक खाते खोले गए है। महा वद्यालय द्वारा सभी प्रकार क छात्रनि धयों हेतु कुल 28 बैंक खाते खोले गए है, संबन्धित खातो क जांच के उपरान्त पाया गया महा वद्यालय द्वारा संचा लत बैंक खातो मे साल दर साल ब्याज क धनरा श भी अर्जित हो रही है ।

(ववरण-सलग्नक-क),

छात्रनि ध की व भन्न मदों मे छात्रनि ध लेजर के अनुसार धनरा श (लाख मे)

क्र.सं	शुल्क का प्रकार	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	दिनाक	अवशेष धनरा श(र)मे
1	वधुत खाता	नैनीताल बैंक	056200000000893	17/01/18	1233149.00
2	कम्प्युटर रखरखाब खाता	नैनीताल बैंक	056200000006089	26/12/17	291091.00
3	प्रवेशआवेदन खाता	नैनीताल बैंक	056200000000634	24/10/17	37188.00
4	प्रयार्वरन खाता	नैनीताल बैंक	056200000001827	11/12/17	251326.00
5	वभागीय परिषद खाता	नैनीताल बैंक	056200000000534	11/12/17	496562.00
6	महा वधालय वकास खाता	नैनीताल बैंक	056200000006083	11/12/17	41544.00

7	निर्धन छात्रा शुल्क खाता	नैनीताल बैंक	056200000000533	11/12/17	62565.00
8	परिचय पत्र खाता	नैनीताल बैंक	056200000000532	11/12/17	67278.00
9	क्रीडा खाता	नैनीताल बैंक	056200000000529	27/01/18	337519.00
10	वाचनालय खाता	नैनीताल बैंक	056200000000529	11/12/17	208205.00
11	संस्कृयतिक परिषद खाता	नैनीताल बैंक	056200000000536	27/01/18	402252.00
12	छात्रसंघ खाता	नैनीताल बैंक	056200000000535	27/01/18	167358.00
13	पत्रिका खाता	नैनीताल बैंक	056200000000531	11/12/17	569814.95
14	रोवरस रेंजेर्स खाता	नैनीताल बैंक	056200000006084	11/12/17	245935.00
15	से मनार/वर्कशॉप/पब्लिककेशन खाता	नैनीताल बैंक	056200000008858	23/12/17	161930.00
16	शुल्कया खाता	नैनीताल बैंक	056200000008965	11/12/17	10341.00
17	व वध शुल्क खाता	नैनीताल बैंक	056200000006085	11/12/17	194945.00
18	प्रोयोगशाला सामाग्री खाता	नैनीताल बैंक	056200000006087	13/01/18	161774.00
19	जनेरटर खाता	नैनीताल बैंक	056200000006082	11/12/17	349706.00
20	कैरियर कौनस्लिंग खाता	नैनीताल बैंक	056200000006086	11/12/17	144924.00
21	प्रोजेक्ट उतकर्ष खाता	नैनीताल बैंक	056200000008781	31/08/17	5775.00
22	सरजन संस्थाये खाता	नैनीताल बैंक	056200000008861	31/08/17	1524.00
23	प्रसाधन शुल्क खाता	नैनीताल बैंक	056200000007022	11/12/17	180317.00
24	पा र्कंग खाता	नैनीताल बैंक	056200000006088	11/12/17	62155.00
25	पुस्तकों का रकरखाव खाता	नैनीताल बैंक	056200000008862	31/08/17	4348.00
26	सॉफ्ट स्किल एनहासमेंट	नैनीताल बैंक	056200000008859	11/12/17	171930.00
27	इंडस्ट्रियल अकैड मक टूर खाता'	नैनीताल बैंक	056200000008860	11/12/17	188987.00
28	प्रोयगात्मक परीक्षा खाता	नैनीताल बैंक	056200000003034	15/12/17	241067.00
	योग--				**6291509.95**

आगे जांच मे पाया गया क छात्रनि ध मदों के भन्न-भन्न बैंक खातो मे छात्रो की 62.91 लाख की धनरा श लेखापरीक्षा ति थ (01/2018) तक अप्रयक्त पड़ी थी।

इस प्रकार महा वद्यालय द्वारा छात्र कल्याणकारी कार्यो मे 62.91 लाख की धनरा श का व्यय नही कया गया है और न ही उक्त धनरा श को शासन को सम र्पत कए जाने हेतु कोई प्रयास कया गया है। आगे जांच मे पाया गया क भन्न-भन्न प्रयोजन हेतु समय-समय पर बिना स मति को प्रस्ताव पारित कए /प्रबन्ध स मति के अनुमोदन के बिना छात्रनि ध से आहरण निम्न ववरण के अनुसार कया जिसमे धनरा श के आहरण का प्रयोजन व समायोजन इकाई द्वारा लेखापरीक्षा ति थ (01/2018) तक सम्प्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था

क्रमसंख्या	आहरित धनरा श(र)	धनरा श व्यय करने का प्रयोजन/मद	छात्र नि ध खाते मे समायोजन
01	163205.00	वधुत खाता	-

02	27,400.00	टेलीफ़ोन/इंटरनेट खाता	-
योग	**192605.00**		

उक्त ता लका से स्पस्ट हे क छात्र नि ध खाते से शासनादेश के वपरीत ₹ 192605.00 की धनरा श आहरित की गयी, जो लेखापरीक्षा ति थ (01/2018) तक असमायोजित थी। यह भी देखा गया क वगत वर्षो मे समय-समय पर आहरित धनरा श का समायोजन 04 वर्षो से भी अ धक समय के लए ब्याज रहित असमायोजित थी, जो वत्तीय अनिय मतता को दर्शाता है ।

उक्त के सम्बंध मे वभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टी की एवं सम्प्रेक्षा को अवगत कराया क छात्रो की आवश्कतानुसार ही छात्रनि ध की धनरा श व्यय की जा रही थी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं हें, क्यो क उक्त ववरण से स्पष्ट हें क महा वद्यालय की उदासीनता एवं श थलता के कारण छात्रनि ध ₹ 62.91 लाख का उपयोग वधार्थीयो के वकास कार्यो मे व्यय नहीं कया जा सका।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हें।

STAN

प्रस्तर **2**: उत्तर प्रदेश सामान्य भ वष्यनि ध नियमावली -1985 एवं उत्तराखंड सामान्य भ वष्यनि ध नियमावली -2002 से संचा लत महा वधालय मे कार्यरत अ धकारी/कर्मचारी/शक्षको एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सामान्य भ वष्यनि ध खाते मे महा वधालय द्वारा बरती गई अनिय मतताये के संबंध में।

क्रम संख्या	अ भदाता का नाम	तृतीय/चतुर्थ श्रेणी खाता संख्या	सामान्य भ वष्यनि ध खाते मे व्याप्त अनिय मतताये	लेखा परीक्षा द्वारा की गई टिपर्णी/जांच	इकाई द्वारा दिया गया उत्तर
01	डी0के0 तिवारी	UNR/4577/COEDU/51863	1- अ भदाता पूर्व मे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था जिसे वर्ष 2016-17 मे तृतीय श्रेणी मे promotion होने के कारण UNR/4577 के स्थान पर COEDU/51863 खाता संख्या महालेखाकार कार्यालय द्वारा आवंटित कया गया था। सम्प्रेक्षा द्वारा अ भदाता की वर्ष-2013-14 की चतुर्थ श्रेणी पासबुक की जांच मे पाया गया क उनके द्वारा'वाउचर नंबर 24 दिनाक 17/07/2013 द्वारा ₹ 50000.00 की धनरा श का अस्थाई अ ग्रम अपने सामान्य भ वष्यनि ध खाते से आहरित कया गया था, परंतु महा वधालय द्वारा उक्त अ ग्रम की कटोती उनके सामान्य भ वष्यनि ध खाते से माह-10/2013 से करनी प्रारम्भ की थी। ii पूर्व मे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री	महा वधालय द्वारा र 50000.00 अस्थाई अ ग्रम की कटोती उनके सामान्य भ वष्यनि ध खाते से माह-10/2013 से करनी प्रारम्भ की जो उत्तरप्रदेश सामान्य भ वष्यनि ध नियमावली -1985 एवं उत्तराखंड सामान्य भ वष्यनि ध नियमावली -2002 के नियमो का उलंघन था, उक्त कटोती माह 07/2013 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सामान्य भ वष्यनि ध खाते से इकाई द्वारा करना अपे क्षत था ii लेखा परीक्षा द्वारा की गई टिप्पर्णी/जांच मे पाया गया हें की अ भदाता की वर्ष-2013-14 की चतुर्थ श्रेणी पासबुक में अ भदान+अ ग्रम का योग ₹ 6302.00+2000.00=8502.00 होना चाहिए था। उक्त त्रुटि का सुधार अब संभव नहीं है क्यो क वर्ष 2016-17 मे अ भदाता के तृतीय श्रेणी मे promotion होने के कारण UNR/4577 के स्थान पर उनको\	सम्प्रेक्षा द्वारा अपने उत्तर में कहा गया है क उक्त त्रुटियों को भ वष्य में सुधारा जायेगा एवं रु. 50,000 अ ग्रम को ट्रेजरी स्तर पर चतुर्थ श्रेणी खाते से तृतीय श्रेणी खाते में स्थानांतरित कर त्रुटि को दुरूस्त कर लया जायेगा एवं रु. 50,000 की धनरा श की अ ग्रम की कटौती उनके द्वारा दो कश्तों में कर ली गई है। सम्प्रेक्षा लेखापरीक्षा इकाई द्वारा दिये गये उत्तर से संतुष्ट नहीं है क्यों क उनके द्वारा उक्त प्रकरण में श थलता बरती गई है। समय रहते ध्यान न देने

			डी0के0 तिवारी खाता संख्या - UNR/4577 की सामान्य भ वष्यनि ध पासबुक के दिसम्बर माह मे अ भदान+अ ग्रम का योग ₹ 6302+2000=6502.00 दिखाया गया हैं। iii वर्तमान में इकाई में कार्यरत तृतीय श्रेणी अ भदाता श्री डी0के0 तिवारी खाता संख्या - COEDU/51863 द्वारा वर्ष-2017-18 मे सामान्य भ वष्यनि ध पासबुक की सम्प्रेक्षा द्वारा जांच में पाया गया क इकाई द्वारा उक्त वर्ष में अ भदानों एवं अ ग्रमों कॉलम में कोई प्र वष्टी नहीं क थी, जब क अ भदाता श्री डी0के0 तिवारी को principal के आदेश संख्या द्वारा 04 दिनांक-07/07/2017 द्वारा अस्थाई अ ग्रम र50000.00 वाउचरसंख्या-22 दिनाक-11/07/2017 द्वारा आहरण की स्वीकृतति दी थी	COEDU/51863 खाता संख्या महालेखाकार कार्यालय द्वारा आवंटित कया जा चुका हे, जिसमे उनकी चतुर्थ श्रेणी खाते की समस्त धनरा श र269113.00 का इकाई द्वारा ब्याज सहित स्थानांतरण उनको आवंटित तृतीय श्रेणी खातासंख्या- COEDU/51863 में कर दिया गया हैं । iii संप्रेक्षा की जांच मे पाया गया क इकाई द्वारा उक्त वर्ष मे अ भदानों एवं अ ग्रमों कॉलम मे अ भदाता श्री डी0के0 तिवारी द्वारा लए गए 50000.00 की धनरा श के अस्थाई अ ग्रम की उनके सामान्य भ वष्यनि ध पासबुक में कोई प्र वष्टी सम्प्रेक्षा ति थ तक नहीं की थी।	के कारण अनिय मताये व्याप्त हुई।
02	श्री दया कशन संह	KEDU/21436	अ भदाता द्वारा वर्ष-2011-12 मे ₹ 150,000.00 की धनरा श अपने सामान्य भ वष्यनि ध खाते से दिनाक-04/05/2011 को आहरित की थी, जिसकी वाप सयों की कटोतिओ का कोई	सम्प्रेक्षा द्वारा जांच मे पाया गया इकाई द्वारा नियमो के वरुद्ध वर्ष-2011-12 से 2013-14 तक अ भदाता की सामान्य भ वष्यनि ध पासबुक में इस प्रकार ₹ 150000.00 के अ ग्रम के सापेक्ष	सम्प्रेक्षा ने भ वष्य में उक्त त्रुटि को सुधारने हेतु दृष्टिगत रखने हेतु कहा गया है। सम्प्रेक्षा इकाई के उत्तर से संतुष्ट

			भी ववरण पासबुक मे दर्ज नहीं पाया गया। माह-04/11 से 05/11 तक ₹ 4000*2=8000/ की कटोती पासबुक के अ ग्रम कॉलम मे दर्ज की थी। परंतु 06/11 एवं 07/11 महा मे पासबुक मे कोई एंट्री दर्ज नहीं पायी गई, जिसका पासबुक मे कोई कारण दर्ज नहीं कया गया। माह -08/11से 03/12 तक 5000*08=40000.00 की कटोती की गई, इस प्रकार उक्त वर्ष में कुल ₹ 48000/ की कटोती की गयी। वर्ष-2012-13 में 50000.00*12=600000.00 तथा वर्ष-2013-14 में 50000.00*12=60,000.00 इस प्रकार ₹ 150000.00 के अ ग्रम के सापेक्ष ₹ 158.000.00 की कटोती की जो नियमो के वरुद्ध थी।	₹ 158.000.00 की कटोती की जो नियमो के वरुद्ध थी।	नहीं है। क्यों क उनके द्वारा अ भदाता के खाते की समय रहते जांच नहीं की गई। जिससे अनिय मतता प्रकरण में व्याप्त हुई।
03	डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव	COEDU/15573	अ भदाता डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव खाता संख्या COEDU/15573-के वर्ष-2014-15 में सामान्य भ वष्यनि ध पासबुक की सम्प्रेक्षा क द्वारा जांच मे पाया गया क इकाई द्वारा ब्याज कॉलम में ₹ 165485 .00 की धनरा श	संप्रेक्षा द्वारा पाया गया क इकाई द्वारा दर्ज अ धक ब्याज क धनरा श एक गंभीर मामला हैं, पासबुक मे ववरण निम्न हैं, OB-2002114.00 DEP-171551.00 INT-174185.00	सम्प्रेक्षा में वभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा है क महा वद्यालय/निदेशालय स्तर से जांच कर अ ग्रम कार्यवाही की जायेगी। सम्प्रेक्षा इकाई के उत्तर से

			के स्थान पर ₹ 174185.00 की धनरा श का अंकन कया गया था इस प्रकार ₹ 8700.00 का अ धक ब्याज का अंकन इकाई द्वारा पासबुक मे कया गया हैं।	WD-300,000.00 TOTAL-2047850.00 जब क पासबुक में ववरण निम्न होना चाहिए था, OB-2002114.00 DEP-171551.00 INT-165485.00 WD-300000.00 TOTAl-2039150.00 इस प्रकार वर्ष-2015-16 मे प्रारम्भिक अवशेष-2039150.00पासबुक में दर्ज होना चाहिए था, उक्त प्रकरण मे बार-बार त्रुटि की गयी हैं पुनः वर्ष-2016-17 मे त्रुटिपूर्ण OB-2357026/ को सही मानते हुऐ दिनांक-02/01/17 द्वारा ₹ 3,00000.00 का आहरण इकाई द्वारा अ भदाता को प्रदान कया गया जो उनकी घोर लापरवाही एवं श थलता को दर्शाता हैं।	संतुष्ट नहीं है। अ भदाता को वर्ष 2014-15 में 8,000 की अ धक ब्याज की धनरा श देने से उनके वरूद्ध वसूली की लाइबिल्टी व्याप्त हो गई। उनके द्वारा सम्प्रेक्षा ति थ तक अ धक ब्याज की धनरा श की वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा इसके बावजूद वर्ष 2016-17 में पुनः उन्हें रु. 3.00 लाख का अ ग्रम प्रदान कर दिया। जिससे गम्भीर अनिय मत व्याप्त हो गई।

इस और लेखा परीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर, इकाई द्वारा जो सूचना उपलब्ध करायी गई, के संबंध मे कोई तर्कपूर्ण उत्तर नहीं दिया गया। इससे स्पस्ट हे क यदि इकाई द्वारा की सामान्य भ वष्यनि ध पासबुक मे व्याप्त त्रुटियो को समय से दुरुस्त कर लया होता तो इकाई स्तर इस तरह की Serious अनियमतता घटित नहीं होती। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हे।

STAN

प्रस्तर **3**: काशनमनी/ प्रतिभूति धनरा श का रखरखाव नियमानुसार नही कया जाना एवं शासनादेश का उल्लंघन करते हुये रु 86,**029/-** का आ धक्य व्यय तथा धनरा श रु 2.62 लाख (रु 44,**880/-**अर्जित ब्याज सहित) का अ क्रयाशील पाया जाना।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10 जुलाई 1986 के अनुसार राजकीय महा वद्यालय मे छात्रों से ली जाने वाली काशनमनी/ प्रतिभूति शुल्क के रखरखाव एवं उपयोग संबन्धित नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत है:-

1. यदि कोई छात्र महा वद्यालय छोडने के 03 वर्ष पश्चात तक अपनी काशन मनी वापस लेने का आवेदन पत्र नही देता है तो यह रा श व्ययप्त (लेप्स) कर दी जाएगी।
2. छात्र कोषो के लए परामर्शदात्री स मति बनाई जाएगी जिसमे छात्रों का प्रतिनि धत्व 50 प्रतिशत होगा। यह स मति संबन्धित कोष के लए प्राप्त धनरा श के व्यय हेतु प्राचार्य को परामर्श देगी, जिसके अनुसार छात्र कोष का उपयोग कया जाएगा।
3. छात्र कोष से वकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नही लया जाएगा और यह रा श उसी मद पर व्यय की जाएगी जिसके लए वसूल की गयी है।
4. यदि कन्ही कारणो से कसी छात्र कोष मे बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की स मति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध स मति के अनुपोदरांत शक्षा निदेशक, उच्च शक्षा अथवा उनके द्वारा प्रा धकृत कसी अ धकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

कार्यालय प्राचार्य, महिला, राजकीय स्नातकोत्तर वा णज्य महा वद्यालय, हल्द्वानी के काशनमनी/प्रतिभूति शुल्क संबन्धित अ भलेखो क जांच पाया गया क महा वद्यालय द्वारा वगत वर्षो मे छात्रों से ली जाने वाली प्रतिभूति स्वरूप काशनमनी की धनरा श बैंक खाता संख्या 2000537 मे जिसका अंतिम अवशेष रु 2,61,946/- पाया गया, वगत कई वर्षो मे छात्रों द्वारा वापस नही ली गयी थी और न ही इसकी मांग छात्रों द्वारा की गयी है जिस कारण उक्त धनरा श कई वर्षो से खातो मे अ क्रयशील पड़ी हुई है। उक्त धनरा श मे धनरा श रु 44,880/- वगत वर्षो मे ब्याज के रूप मे अर्जित हुई थी। काशनमनी खाता से महा वद्यालय द्वारा भन्न-भन्न प्रयोजन हेतु समय समय पर बिना स मति के प्रस्ताव पारित/ प्रबंधन स मति के अनुमोदनपरांत शक्षा निदेशक, उच्च शक्षा के अनुमति प्राप्त कए बिना, धनरा श रु 9500/- का आहरण कया गया है शासनादेश के वपरीत रु 9500/- धनरा श आहरित की गयी तथा वर्तमान तक उक्त धनरा श असमायोजित पायी गयी। काशनमनी खाता से उक्त शासनादेश के वपरीत रु 9500/- का आहरण कया गया था तथा वर्तमान तक उक्त धनरा श असमायोजित पायी गयी।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 371/xxiv(7)/6(2)/2013, दिनाक 05 फरवरी 2013 के अनुसार प्रतिभूति रा श वापस करने के अव ध के पश्चात अवशेष धनरा श एवं जमा ब्याज का 25 प्रतिशत ही प्रथम चरण मे व्यय कए जाने हेतु संस्तुति स मति कर सकती है। उक्त के अनुक्रम मे महा वद्यालय द्वारा वत्तीय वर्ष 2015-16 मे कुल रु 1,16,589/- की पुस्तकों का क्रय कया गया जब क काशनमनी खाता की जांच मे पाया गया क 3 वर्ष पूर्व खाते मे, वर्ष 2011-12 (दिनाक 31.03.12) का अंतिम अवशेष रु 1,22,237/-(ब्याज सहित) पाया गयी, जो की छात्रों को वापस नही की जानी थी अतः शासन के निर्देशानुसार अवशेष धनरा श रु 1,22,237/- का 25% = रु 30,560/- की पुस्तकों का क्रय कया जाना अनुमान्य था। अतः महा वद्यालय द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर रु 86,029/- मूल्य (1,16,589 - 30,560=86,029/-) की अ धक पुस्तकों का क्रय कया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया है क छात्राओ से आवेदन प्राप्त न होने के कारण काशनमनी वापस नही की जा सकी तथा धनरा श आप्रयुक्त खाते मे पड़ी है, शासन से बजट प्राप्त नही होने के कारण समय समय पर धनरा श आहरण की गयी जिसका समायोजन शासन से नि ध प्राप्त होने के पश्चात कया जाएगा एवं रु 86,029/- की आ धक्य पुस्तकों के क्रय के संबंध मे इकाई ने टिपणी क है क भ वष्य मे पुनरावृ त्त नही की जाएगी।

उत्तर मान्य नही है क्यों क काशनमनी क रा श छात्रों क प्रतिभूति धनरा श है जिसे उक्त शासनादेश के अनुसार परामर्श स मति क स्वीकृति से व्यय कया जाना था एवं इकाई के उत्तर से स्पष्ट है क काशनमनी खाते से संबन्धित धनरा श (ब्याज सहित) वगत वर्षो के अ क्रयशील पड़ी हुई है तथा अनिय मत आहरण/व्यय इकाई द्वारा कया गया।

अतः काशनमनी/ प्रतिभूति धनरा श का रखरखाव नियमानुसार नही कया जाना एवं शासनादेश का उल्लंघन करते हुये रु 86,**029/-** का आ धक्य व्यय तथा धनरा श रु 2.62 लाख (रु 44,**880/-**अर्जित ब्याज सहित) का अ क्रयाशील पाये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या
70/2013-14	--	1

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा वसूली प्रमाण पत्र तथा संबं धत तथ्यों को स्पष्ट करते हुये अनुपालन आख्या महालेखाकार कार्यालय को अतिशीघ्र प्रे षत करने की बात कही गयी।				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य, इंद्रा प्रयदर्शनी राजकीय स्नात्कोत्तर वा णज्य महिला महा वद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल) तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(I) वगत निरीक्षण प्रतेवेदनो के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के संबंध में महत्वपूर्ण अ भलेख जैसे वेतन से वसूली प्रमाण पत्र/कोषागार में धनरा श जमा करने के चालान पत्र की प्रति।

3. सतत् अनिय मतताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अव ध
1.	डॉ जी0एस0 बिष्ट	प्राचार्य	09/2013 से 08/2017
2.	डॉ पी0 के0 पाठक	प्राचार्य	09/2017 से अब तक (01/2018)

(V) लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति प्राचार्य, इंद्रा प्रयदर्शनी राजकीय स्नात्कोत्तर वा णज्य महिला महा वद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल) को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.